

अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन,
2025



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - न0नि0 50-36/2017-2302
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
(नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा,
किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक 28.5.25

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 – बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 एवं 444 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान एवं मतगणना दलों के गठन प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025 एवं
पत्रांक 2987 दिनांक 02.08.2022 (पत्र संलग्न)

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक प्रासंगिक पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025 द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन कराये जाने का निदेश दिये गये है।

विदित हो कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में प्रासंगिक पत्रांक 2987 दिनांक 02.08.2022 द्वारा विस्तृत निदेश देये गये थे।

उक्त पत्र के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर भी मतदान दल एवं मतगणना दल का गठन एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जायेगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-

(क) नगरपालिका आम निर्वाचन के मामले में आयोग के प्रासंगिक पत्रांक 2987 दिनांक 02.08.2022 में दिये गये निदेश के अनुरूप अनुपालन किया जाये।

(ख) नगरपालिका उप निर्वाचन के मामले में जिसमें सभी तीन पदों का निर्वाचन किसी मतदान केन्द्र पर नहीं होना है इसलिए मतदान दल में पारम्परिक रूप से नियुक्त किये जाने वाले तरीके से यथा – पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी-1, मतदान पदाधिकारी-2, मतदान पदाधिकारी-3A तथा मतदान पदाधिकारी - 3B के अनुसार मतदान दल का गठन किया जाये। जिला में कार्यरत तकनीकी कर्मियों को ही मतदान पदाधिकारी -3B के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जिनके द्वारा मतदान के दिन से संबंधित 'मतदान दिवस

एप्प' का संचालन तथा मतदाता का सत्यापन हेतु मतदाता का फोटोग्राफी का कार्य किया जायेगा।

(ग) मतदान केन्द्र पर वैसे तकनीकी कर्मी को प्राथमिकता दी जाय जिनका कार्य पूर्व के निर्वाचन में सराहनीय रहा है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाये एवं तत्संबंधी निदेश से निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।


विश्वासभाजन,


सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-36/2017- 2302

पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-36/2017- 2302

पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार मिश्रा, उप महानिदेशक-सह-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-36/2017- 2302

पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-36/2017- 2302

पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन,
2025



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - न0नि0 50-28/2025 - 2228
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
(नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा,
किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक - 24.5.25

विषय : नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन 2025 : निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या 1477 दिनांक 24.05.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के संबंध में कहना है कि 6 (छः) नगरपालिकाओं यथा- नगर पंचायत, मेहसी, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण), नगर पंचायत, कोचस (रोहतास) तथा नगर पंचायत, खुशरूपुर, नौबतपुर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा नगर पंचायत विक्रम (पटना) का कार्यकाल 20.08.2025 को समाप्त हो रहा है, का आम निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु दिनांक 24.05.2025 को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचना संख्या 1477 दिनांक 24.05.2025 निर्गत कर दी गई है। सन्दर्भित अधिसूचना प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विगत नगरपालिका आम निर्वाचन उपरान्त त्यागपत्र/मृत्यु, आयोग द्वारा पदच्युत होने के फलवस्वरूप रिक्त हुये पद पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 441 के परन्तुक से प्रदत्त शक्तियों के तहत उप निर्वाचन सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया है। रिक्त पदों की विवरणी पत्र के साथ 'अनुसूची-क' के रूप में संलग्न है।

3. कंडिका-2 में वर्णित सभी पदों का निर्वाचन के प्रक्रम निम्नवत् है :-

(क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना

का प्रकाशन की तिथि

- 28.05.2025

(ख) नामांकन प्राप्त करने की तिथि

- 28.05.2025 से 05.06.2025 तक

(पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)

(ग) संवीक्षा की तिथि

- 06.06.2025 से 09.06.2025 तक

(घ) अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि

- 10.06.2025 से 12.06.2025 तक

(पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)

24/5/25

- (ड) अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन - 13.06.2025
- (च) मतदान की तिथि - 28.06.2025
- (छ) मतदान का समय - 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक।
- (ज) मतगणना की तिथि - 30.06.2025 (प्रातः 8.00 बजे से)

4. नगरपालिका आम निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु राज्य सरकार से अधिसूचना निर्गत होते ही संबंधित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र में तथा जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने का निदेश दिया गया है, वहाँ संबंधित वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गये हैं, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेंगे।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं उक्त दिशा-निर्देश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-28/2025 - 2228

पटना, दिनांक - 24.5.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-28/2025 - 2228

पटना, दिनांक - 24.5.25

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-28/2025 - 2228

पटना, दिनांक - 24.5.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-28/2025 - 2228

पटना, दिनांक - 24.5.25

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-28/2025 - 2228

पटना, दिनांक - 24.5.25

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

U
24/5/25

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Notification

MemoNo-11/Na. Vi./Nirva-02/2025-

1477

Patna, Dated-24/5/25

Whereas, the tenure of the Six Nagar Panchayats i.e. Nagar Panchayat Kochas (Rohtas), Nagar Panchayat Mehsi & Pakridayal (E.Champaran), Nagar Panchayat Khushrupur & Naubatpur (Patna) are expired and the tenure of Nagar Panchayat Bikram will expire on dt. 20.08.2025.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-441 of the Bihar Municipal Act, 2007, the Govt. of Bihar is hereby pleased to fix, **28th June, 2025** as the date for poll for election of the Ward Members, Dy. Chief Councilors & Chief Councilors of Nagar Panchayat Kochas (Rohtas) Nagar Panchayat Mehsi & Pakridayal (E.Champaran), Nagar Panchayat Khushrupur, Naubatpur & Bikram (Patna) on the recommendation of the State Election Commission, Bihar and expect that voters will cast their vote on the fixed date.

By order of Governor of Bihar,

Sd/-

(Abhay Kumar Singh)

Secretary,

Urban Development and Housing Department.

MemoNo-11/Na. Vi./Nirva-02/2025-

Patna, Dated-

Copy forwarded to the officer in charge, e-Gazette Cell, Finance Dept, Bihar, Patna for publication in next extraordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 500 copies of this notification to the Urban Development and Housing Department, Bihar, Patna immediately.

Sd/-

Secretary,

Urban Development and Housing Department.

MemoNo-11/Na. Vi./Nirva-02/2025-

1477

Patna, Dated-24/5/25

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary to the Chief Minister, Bihar/ACS/Principal Secretary/Secretary of all Departments and Heads of all Departments/All Divisional Commissioners/All District Magistrate cum-District Election Officers (Nagar Palika)/ Secretary, State Election Commission, Bihar, Patna for information.

Secretary,

Urban Development and Housing Department.

M
24/5/25

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या 11/न0वि0/निर्वा-02/2025- 1477 /पटना, दिनांक-24/5/25
चूँकि राज्य के 06 नगरपालिकाओं, यथा नगर पंचायत, कोचस (रोहतास), नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) नगर पंचायत, खुशरूपुर एवं नौबतपुर (पटना) का कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा नगर पंचायत, बिक्रम (पटना) का कार्यकाल दिनांक 20.08.2025 को समाप्त हो रहा है।

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिका के लिये चुनाव कराना आवश्यक हो गया है;

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा छः नगर पंचायतों, यथा नगर पंचायत कोचस (रोहतास), नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) नगर पंचायत, खुशरूपुर एवं नौबतपुर (पटना) तथा नगर पंचायत, बिक्रम (पटना) के पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों एवं मुख्य पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु 28 जून, 2025 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(अभय कुमार सिंह)

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक 11/न0वि0/निर्वा-02/2025-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की पांच सौ प्रतियां नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/-

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग

पटना, दिनांक-24/5/25

ज्ञापांक 11/न0वि0/निर्वा-02/2025- 1477

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023
रिक्त पदों की विवरणी

क्र० सं०	जिला	क्रमांक	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	पद नाम
1	अररिया	1	नगर परिषद, फारबिसगंज	15	वार्ड पार्षद
2	अरवल	2	नगर पंचायत कुर्या	8	वार्ड पार्षद
3	बांका	3	नगर परिषद बांका	1 से 26 तक	मुख्य पार्षद
4	बेगूसराय	4	नगर निगम बेगूसराय	10	वार्ड पार्षद
		5	नगर परिषद बखरी	5	वार्ड पार्षद
5	भागलपुर	6	नगर निगम भागलपुर	10	वार्ड पार्षद
6	भोजपुर	7	नगर निगम आरा	34	वार्ड पार्षद
		8	नगर पंचायत शाहपुर	7	वार्ड पार्षद
		9	नगर पंचायत शाहपुर	8	वार्ड पार्षद
		10	नगर पंचायत पिरो	20	वार्ड पार्षद
7	बक्सर	11	नगर परिषद बक्सर	1 से 42 तक	उप मुख्य पार्षद
		12	नगर परिषद बक्सर	20	वार्ड पार्षद
8	गया	13	नगर परिषद बोधगया	1 से 33 तक	उप मुख्य पार्षद
		14	नगर पंचायत खिजरसराय	1 से 13	मुख्य पार्षद
		15	नगर परिषद टेकारी	20	वार्ड पार्षद
9	गोपालगंज	15	नगर पंचायत हथुआ	12	वार्ड पार्षद
10	जहानाबाद	16	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1	वार्ड पार्षद
11	कैमूर	17	नगर पंचायत कुदरा	8	वार्ड पार्षद
		18	नगर पंचायत मोहनियाँ	15	वार्ड पार्षद
12	कटिहार	19	नगर पंचायत बारसोई	6	वार्ड पार्षद
		20	नगर पंचायत बारसोई	8	वार्ड पार्षद
		21	नगर निगम कटिहार	41	वार्ड पार्षद
13	खगड़िया	22	नगर परिषद खगड़िया	29	वार्ड पार्षद
14	लखीसराय	23	नगर परिषद बड़हिया	18	वार्ड पार्षद
		24	नगर परिषद सूर्यगढ़ा	13	वार्ड पार्षद
		25	नगर परिषद लखीसराय	7	वार्ड पार्षद
15	मधुबनी	26	नगर पंचायत, बेनीपट्टी	2	वार्ड पार्षद
		27	नगर परिषद झंझारपुर	5	वार्ड पार्षद
		28	नगर निगम मधुबनी	34	वार्ड पार्षद
16	मुंगेर	29	नगर निगम, मुंगेर	21	वार्ड पार्षद
		30	नगर परिषद हवेली खड़गपुर	12	वार्ड पार्षद

24.5.23

24/5/2023

24/5/23

क्र० सं०	जिला	क्रमांक	नगरपालिका का नाम	वार्ड संख्या	पद नाम
17	मुजफ्फरपुर	31	नगर परिषद साहेबगंज	24	वार्ड पार्षद
18	नालन्दा	32	नगर पंचायत, अस्थायी	3	वार्ड पार्षद
		33	नगर परिषद, हिलसा	9	वार्ड पार्षद
19	पश्चिम चम्पारण	34	नगर निगम बेतिया	14	वार्ड पार्षद
20	पूर्णिमा	35	नगर पंचायत जानकीनगर	7	वार्ड पार्षद
		36	नगर पंचायत रूपौली	2	वार्ड पार्षद
21	पूर्वी चम्पारण	37	नगर निगम मोतिहारी	6	वार्ड पार्षद
22	सहरसा	38	नगर परिषद, सिमरी बख्तियारपुर	10	वार्ड पार्षद
		39	नगर पंचायत, सोनवर्षा	8	वार्ड पार्षद
		40	नगर निगम सहरसा	19	वार्ड पार्षद
23	समस्तीपुर	41	नगर परिषद रोसड़ा	7	वार्ड पार्षद
		42	नगर निगम समस्तीपुर	15	वार्ड पार्षद
		43	नगर निगम समस्तीपुर	29	वार्ड पार्षद
		44	नगर निगम समस्तीपुर	43	वार्ड पार्षद
24	सारण	45	नगर पंचायत एकमा बाजार	1 से 19 तक	उप मुख्य पार्षद
25	सीतामढ़ी	46	नगर पंचायत सुरसंड	11	वार्ड पार्षद
26	सिवान	47	नगर पंचायत मैरवा	1 से 13 तक	मुख्य पार्षद
		48	नगर पंचायत हसनपुरा	1	वार्ड पार्षद
27	सुपौल	49	नगर परिषद त्रिवेणीगंज	11	वार्ड पार्षद
28	वैशाली	50	नगर परिषद, हाजीपुर	5	वार्ड पार्षद

आवश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2022



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -पं0नि0 30-41/2016- 2987

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक 02.08.2022

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 – बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 एवं 444 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा (requisition) तथा मतदान एवं मतगणना दलों के गठन प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में कुल 248 नगरपालिकाओं यथा – 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद एवं 146 नगर पंचायतों में तीन पदों यथा- पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का निर्वाचन ई.वी.एम. के माध्यम से कराया जाना है।

तीन पदों पर ई.वी.एम. से मतदान होने के कारण कम से कम तीन - बी.यू एवं तीन सी.यू. का उपयोग होगा, इस कारण से मतदान दल के गठन हेतु अधिक संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त एक तकनीकी कर्मी को भी लगाया जायेगा जो मतदान केन्द्र पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अतः इस हेतु निम्न प्रकार से कार्मिकों की व्यवस्था की जाये :-

(i) मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा 5 मतदान पदाधिकारियों को मिलाकर मतदान दल का गठन किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कम से कम तीन ई.वी.एम. (सी.यू. एवं बी.यू) होने के कारण सामान्यतः तीन मतदान केन्द्र पर एक 'पी.सी.सी.पी.' का गठन होगा।

(iii) मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. के Replacement के लिए प्रत्येक नगर पंचायत के दो वार्ड पर एक एवं नगर परिषद के एक वार्ड पर एक तथा प्रत्येक नगर निगम के एक वार्ड पर न्यूनतम दो 'सेक्टर मजिस्ट्रेट' की नियुक्ति की जायेगी। इनके साथ एक अतिरिक्त कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी, जो EVM मास्टर ट्रेनर स्तर के कर्मी होंगे। इस सन्दर्भ में भी कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन कर ली जाय।

(ख) कतिपय जिलों में नगरपालिका आम निर्वाचन नगरपालिकावार दो चरणों में करायी जा सकती है। इस आधार पर भी जिले में कार्मिकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर मतदान तथा मतगणना कार्मिकों का आकलन कर ली जाय। प्रयास किया जाना चाहिये कि किसी कर्मी को दुबारा मतदान/ मतगणना कार्य में सम्मिलित न होना पड़े।

22.7.22

(ग) उल्लेखनीय है कि शहरी निकाय में पचास प्रतिशत महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं। कार्मिक अधिक लगने के कारण महिला कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगाया जाय। यथासंभव उन्हें ऐसे चिह्नित स्थानों पर लगाया जाये जहाँ आवागमन, संचार एवं अन्य आधारीक संरचना (infrastructure) आदि की सुविधा हो।

उपरोक्त संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 443 (5) एवं 444 में प्रावधान किये गये है, सुलभ प्रसंग हेतु इन्हें निम्नवत् उद्धृत किया जाता है :-

“443 (5). जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा उसकी सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा;

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका)/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है, या उसके लिए कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला पदाधिकारी (नगरपालिका) को इसकी सूचना देगा;

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्याधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।”

“444. निर्वाचन कार्य हेतु कतिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना -

(1) जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के सम्पादन हेतु कर्मचारियों (शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहित) को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा, तब संबंधित प्राधिकारी उन कर्मचारियों को, उस संख्या में जो निर्वाचन कर्तव्य के सम्पादन हेतु आवश्यक हो, निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। निर्वाचन कर्तव्य के अन्तर्गत मतदान, मतगणना, विधि व्यवस्था के संधारण, पेट्रोलिंग, दण्डाधिकारी आदि से संबंधित कर्तव्य सम्मिलित माने जाएँगे।

(2) उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे -

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार,

(2) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या निगमित प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,

(3) कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी,

(4) कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रित किया जाता है या वित्त प्रदान किया जाता है।”

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी या कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान का उपक्रम जिसे केन्द्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रण किया जाता है या वित्त प्रदान किया जाता है, का सेवक हो, को नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर, यथा – पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान अधिकारी/ मतगणना कार्मिक के रूप में नियुक्त किया जाना है।

स्थानीय प्राधिकारों यथा पंचायतों / नगरपालिकाओं के कर्मियों, विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों या लोक उपक्रमों के कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया जा सकता है। यथाशक्य अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों को निर्वाचन कर्तव्य पर अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन लोक सभा/ विधान सभा चुनावों के अवसर पर जिन संस्थाओं के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, सदृश नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर किये जायेंगे।

2. विगत पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थायी एवं संविदा) का डाटाबेस Election Personel Management Information System (EPMIS) के तहत <https://elecon.bihar.gov.in> वेबसाईट पर संधारित है। नगरपालिका निर्वाचन, 2022 के लिए कार्मिक की डाटा नये सिरे से प्राप्त कर इन्ट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर संधारित कार्मिकों के डाटावेस EPMIS के माध्यम से सत्यापन किया जाना है। सत्यापन (EPMIS) के क्रम में पूर्व से संधारित डाटावेस में यदि कोई संशोधन प्राप्त होता है, तो उसका संशोधन नये कार्मिकों का संबंधित डाटाबेस में नये सिरे से 'इन्ट्री' और मृत/ सेवानिवृत्त/ अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित इन्ट्री का विलोपन किया जाना है। **विदित हो कि पाँच मतदान पदाधिकारी में से एक मतदान पदाधिकारी (P3C) मतदान केन्द्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन संबंधी कार्य करेंगे। अतः डाटाबेस में पर्याप्त संख्या में तकनीकी कर्मियों (IT Persons) को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।**

3. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन विधान सभा/ संसदीय चुनावों के लिए मतदान एवं मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रैण्डम नम्बर तकनीकी (रैण्डमाइजेशन प्रक्रिया) के आधार पर किया जाता है। इस तकनीक से मतदान कर्मियों के चयन में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं तटस्थता सुनिश्चित की जा सकेगी।

4. कार्मिकों के रैण्डमाइजेशन हेतु बंधेज –

पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कार्मिकों एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी-सह-संग्रह दल के मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति हेतु किए जाने वाले रैण्डमाइजेशन हेतु निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाना चाहिए :-

(1) पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी का वर्गीकरण उनके पद, रैंक एवं वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो अन्य मतदान पदाधिकारियों से उच्चतर वेतनमान एवं श्रेणी का व्यक्ति हो। **किसी भी स्थिति में वर्ग 4 के कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाय।**

(2) किसी भी नगरपालिका के कर्मियों को पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी/ मतगणना कर्मी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाय।

(3) किसी भी मतदान दल में एक ही सिरियल समूह के दो अधिकारी नहीं रहेंगे।

(4) सिद्धान्ततः मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग से नहीं होंगे एवं किसी भी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी समान विभाग के नहीं होंगे।

(5) अगर सिर्फ महिला मतदाताओं के लिए कोई मतदान केन्द्र स्थापित किया गया हो तो वहाँ महिला मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। पर्दानशीन बाहुल्य क्षेत्रों में महिला मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति अवश्य की जाय।

(6) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन कार्य हेतु एक तकनीकी कर्मी को मतदान पदाधिकारी के रूप में अवश्य नियुक्त किया जाय।

(7) प्रत्येक मतदान दल के मतदान पदाधिकारियों का चयन रैण्डम आधार पर उपर्युक्त मामलों के अध्यक्षीन किया जाय।

(8) प्रत्येक मतदान कर्मी को उसके वास्तविक मतदान केन्द्र की जानकारी मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने के कुछ ही क्षण पूर्व दी जाय।

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर उपर्युक्त मापदंड मतदान कर्मिकों के रैण्डमाइजेशन के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसके क्रियान्वयन में कठिनाई आने पर अपर राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी के पत्रांक 267/2016 दिनांक 31.03.2016 द्वारा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित प्रावधानों को शिथिल करने का अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र में अंकित है कि 'मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग से नहीं होने चाहिए' में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है जिससे मतदान दल का गठन हो सके। उक्त पत्र में अनुरोध किया गया था कि विभिन्न विभाग के कर्मियों की संख्या में कमी हो तो उल्लिखित 'विभाग' को शिथिल करते हुए 'कार्यालय' तथा शिक्षा विभाग हेतु एक विद्यालय को एक कार्यालय माना जाने का संशोधन किया जा सकता है। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 2628 दिनांक 6.4.2016 द्वारा सूचना विज्ञान केन्द्र के पत्रांक 267 दिनांक 31.03.2016 को अनुमोदित किया गया है। उक्त के आलोक में वर्तमान परिस्थिति में भी व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई की जाए।

5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कर्मियों का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार ही रैण्डम तरीके से किया जाएगा। रैण्डमाइजेशन की पूरी प्रक्रिया यथा उपलब्ध स्टाफ का नाम पता तैयार करना, उन्हें मतदान दल के रूप में क्लब करना तथा प्रत्येक मतदान दल को मतदान केन्द्र से संबद्ध करना आदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रेक्षक के व्यक्तिगत एवं गहन पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

6. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के तीनों पद का मतदान M2 इ.वी.एम. द्वारा कराया जाना है। मतदान समाप्ति के बाद दूसरे दिन मतगणना प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 85 (1) के अनुसार 'जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा, वहाँ कंट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बनाकर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जाएगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गाँज लिफाफे में रख दिया जाएगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सीलबन्द कर जिला पदाधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। उक्त सील बन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई नियम 89 के अध्यक्षीन की जाएगी।'

साथ ही नियम 85 (2) के अनुसार ``जहाँ मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इतर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जायेगा, वहाँ सर्वर में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की सारणी बनाकर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जायेगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जायेगा। इसके साथ ही उक्त डेटा को अनएडेबल फॉर्मेट में बाह्य हार्ड डिस्क में भी कॉपी कर ली जायेगी। हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी एवं कॉपी किये गये हार्ड डिस्क को एक साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सेक्रेट सील से सीलबंद कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा। उक्त सील बन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई नियम 89 के अध्याधीन की जाएगी।``

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग का निम्न निदेश संसूचित किया जाता है:-

- (1) केन्द्र सरकार, उसके उपक्रम, राज्य सरकार एवं उसके उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थायी एवं संविदा) का डाटा के तहत Election Personnel Management Information System (EPMIS) के तहत <https://elecon.bihar.gov.in> वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे ससमय केवल संशोधित किया जाना है।
- (2) EPMIS ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है तथा डाटाइन्ट्री एवं संशोधन का कार्य विकेन्द्रीकृत व्यवस्था द्वारा विभागीय नोडल ऑफिसर द्वारा उनके Login एवं Password से कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तर से प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को उपलब्ध Login एवं Password द्वारा कराया जाता है। इसमें प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग द्वारा ऑपरेटर रख कर उनके user id एवं Password से इन्ट्री/संशोधन कराया जाता है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रैण्डमाइजेशन एवं प्रतिवेदन तैयार करने में केवल तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। डाटा का उत्तरदायित्व विभाग का है।
- (3) निहित स्वार्थवश डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मियों द्वारा मतदान में नियुक्ति हेतु तैयार किए गए कार्मिकों के डाटाबेस में कुछ कार्मिकों के नाम उपलब्धता के बावजूद सम्मिलित नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो सकती हैं। अतः प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग एवं जिला सूचना पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उन्हें प्राप्त करायी गयी कर्मियों की सूची में से उनके पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे कार्मिकों द्वारा किसी भी नाम को नियुक्ति हेतु कार्मिकों के डाटाबेस से अलग नहीं रखा गया है।
- (4) सर्वप्रथम मतदान और मतगणना कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता की समीक्षा कर ली जाय।

यदि कार्मिकों की उपलब्धता में कमी है तो अपने प्रमंडलीय आयुक्त से उस प्रमंडल के अन्य जिला जिसमें चुनाव नहीं हो रहा है या अगले चरण में चुनाव नहीं है या जहाँ अधिक कार्मिक उपलब्ध है, उन जिलों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्त कर कार्मिकों की कमी को दूर किया जाना है।

- (5) प्रथम नियुक्ति पत्र नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद प्रशिक्षण विवरणी के साथ तैयार कर कार्मिकों को तामिल कराना है। इस प्रकार बिना मतदान दल के गठन किये प्रथम नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसे जारी करने के लिए प्रेक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

- (6) प्रथम नियुक्ति पत्र में मात्र निम्नलिखित बिन्दु अंकित किए जाएंगे:-
- (क) नियुक्ति पत्र में कर्मी को आवंटित विशिष्ट क्रमांक (Unique Serial Number)
- (ख) कर्मी जिस रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उस पद का नाम (यथा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी आदि)।
- (ग) कर्मी को दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षणों की तिथियाँ, समय एवं स्थल का विवरण।
- (घ) प्रशिक्षण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन संबंधी सूचना।
- (7) चूँकि मतदान के तुरंत बाद मतगणना कराया जायगा, इसलिए मतदान एवं मतगणना कर्मियों का नियुक्ति पत्र एक साथ निर्गत किया जायगा। जिन कर्मियों को मतदान दल में लगाया जायेगा उन्हें मतगणना हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

(8) (क) मतदान कर्मियों के लिए -

(i) मतदान कर्मी के नियुक्ति पत्र में जोनल दण्डाधिकारी, सेक्टर दण्डाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी (P1, P2, P3A, P3B & P3C) एवं माईक्रो ऑब्जर्वर ड्यूटी के रूप में चिन्हित होंगे, जो क्रमशः डाटाबेस में अंकित ड्यूटी Z, S, M, P, 1, 2, 3, 4, 5 एवं O के अनुसार होंगे।

(ii) प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी एवं पाँच मतदान अधिकारी होंगे।

(iii) मतदान दल में केंद्र, केंद्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम के सभी पुरुष एवं महिला (स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत) कर्मी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है।

(iv) मतदान कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र में ही तीन प्रशिक्षण का उल्लेख किया जायेगा। मतगणना कर्मियों के लिए भी तीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम निर्धारित की जायेगी। मतदान एवं मतगणना कर्मियों के प्रथम नियुक्ति पत्र एक साथ निर्गत किये जायेंगे।

(v) मतदान कर्मियों (Polling Personnel) को लेपल कार्ड (Lapel card) निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसपर कार्मिक का PIN अंकित होगा। पहचान पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :-

पहचान पत्र	
PIN - Party No. - कर्त्तव्य -	
फोटोग्राफ	1. नाम -
	2. पदनाम-
	3. कार्यालय का नाम -
	4. रक्त समूह - (Blood Group)
	5. मोबाईल नं0 -
निर्गत करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का हस्ताक्षर एवं मुहर	

(vi) मतदान कर्मियों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियुक्ति पत्र संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) स्तर से निर्गत होगा।

(8)(ख)द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र : मतदान दल का द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र एन.आई.सी. द्वारा विकसित ऑनलाइन रैण्डोमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने के उपरांत निर्गत किया जायेगा।

- (i) मतदान कर्मियों का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन कम से कम 120 प्रतिशत संशोधित डाटा से न्यूनतम 10 प्रतिशत सुरक्षित रखकर प्रथम चरण के नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की समाप्ति के उपरांत आवश्यकतानुसार द्वितीय चरण हेतु तुरंत किया जायगा। इसे रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतदान पदाधिकारी का चरण एवं नगरपालिका का आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा :-
- (ii) एक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पाँच मतदान पदाधिकारी होंगे।
- (iii) दो प्रकार के मतदान दलों का गठन किया जायेगा - केवल पुरुष मतदान दल एवं मिश्रित मतदान दल जिसमें कम से कम दो महिला कर्मी होंगे।
- (iv) केवल पुरुष मतदान दलों के गठन में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखंड को छोड़कर किये जायेंगे तथा कार्यालय के एक से अधिक कर्मी एक मतदान दल में नहीं होंगे। मिश्रित मतदान दल में भी पुरुष कर्मियों का रैण्डोमाइजेशन इसी आधार पर की जायेगी एवं महिला कर्मियों का नियुक्ति रैण्डोमाइजेशन तकनीक द्वारा अपने पदस्थापन नगरपालिका के अंतर्गत ही किया जायेगा, परन्तु उनके पंजीकृत मतदान केन्द्र पर नहीं होगा। इसके लिए ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित करना होगा जहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधा (Basic Minimum Facility) उपलब्ध हो।
- (v) पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन भी पुरुष मतदान कर्मियों के शर्तों के आधार पर ही किये जायेंगे। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर में महिला कर्मी नहीं लगाये जायेंगे।
- (vi) आवश्यकतानुसार द्वितीय चरण में नियुक्त करने की स्थिति में द्वितीय नियुक्ति पत्र में चरण, नगरपालिका का नाम, योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। नियुक्ति पत्र में वर्णित उक्त स्थल एवं तिथि को उन्हें तृतीय नियुक्ति पत्र प्राप्त होगी।
- (vii) द्वितीय रैण्डोमाइजेशन के बाद किसी भी प्रकार का वहिष्करण (Exclusion) नहीं किया जायेगा।
- (viii) द्वितीय रैण्डोमाइजेशन प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाना अनिवार्य होगा।

(8)(ग) तृतीय नियुक्ति पत्र - चरणवार तृतीय रैण्डोमाइजेशन के उपरांत ही तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत होंगे।

- (i) तृतीय रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतदान दलों का मतदान केंद्रों से Tagging किया जायेगा। Patrolling Magistrate का Patrolling-cum-Collecting Party के साथ Tagging किया जायेगा।
- (ii) मतदान दलों एवं Patrolling Magistrate का तृतीय रैण्डोमाइजेशन मतदान तिथि से 72 घंटा पूर्व किया जायेगा।
- (ii) तृतीय रैण्डोमाइजेशन भी प्रेक्षक की उपस्थिति में की जायेगी।

(9)(क) मतगणना कार्मिकों के लिए -

- (i) मतगणना दल हेतु मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में चिन्हित किये जायेंगे।
- (ii) प्रत्येक मतगणना दल में एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी।

- (iii) सुगमतापूर्वक मतगणना कार्य हेतु प्रत्येक नगरपालिका के तीनों पदों के लिए पदवार अलग-अलग मतगणना हॉल बनायी जायेगी। मतगणना टेबुल एवं निर्धारित चक्र के आधार पर पद विशेष के लिए मतगणना हॉल की संख्या अधिक की जा सकती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मतगणना केन्द्र पर कमरों (मतगणना हॉल) की उपलब्धता के अनुसार उतने ही संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे। ताकि मतगणना हॉल में एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। इसी आधार पर मतगणना कर्मियों की गणना कर कम से कम 20 प्रतिशत सुरक्षित के साथ मतगणना की प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत की जाये। मतगणना हेतु अपने ही जिले के कर्मी नियुक्त किये जायें। मतगणना कराये जाने के संबंध में अलग से निदेश दिये जायेंगे।
- (iv) मतगणना में प्रत्येक टेबल पर एक महिला कर्मी को मतगणना सहायक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय।
- (v) मतगणना टेबल पर एक माईक्रो ऑब्जर्वर (महिला या पुरुष कर्मी) अवश्य प्रतिनियुक्त की जाय।
- (vi) मतगणना कर्मियों (Counting Personnel) को लेपल कार्ड (Lapel card) निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसपर कार्मिक का PIN अंकित होगा। पहचान पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :-

पहचान पत्र		PIN - Party No. - कर्त्तव्य -
फोटोग्राफ	1. नाम -	
	2. पदनाम-	
	3. कार्यालय का नाम -	
	4. रक्त समूह - (Blood Group)	
	5. मोबाईल नं0 -	
निर्गत करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर	निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) का हस्ताक्षर एवं मुहर	

(vii) मतगणना कार्मिक का प्रथम एवं द्वितीय नियुक्ति पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) स्तर से निर्गत होगा जबकि तृतीय नियुक्ति पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी स्तर से निर्गत होगा।

(9) (ख) द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र : मतगणना दल का द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत एन.आई.सी. द्वारा विकसित ऑनलाइन रैण्डमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने के उपरांत किया जायेगा।

मतगणना कर्मियों का द्वितीय रैण्डमाइजेशन मतदान अधिकारियों के द्वितीय रैण्डमाइजेशन के समय ही किया जायेगा। इस रैण्डमाइजेशन द्वारा मतगणना कर्मियों का चरण एवं नगरपालिका का आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा-

- (i) एक मतगणना दल में एक पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक मतगणना प्रेक्षक (माईक्रो ऑब्जर्वर) होंगे। मतगणना में प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक महिला कर्मी को मतगणना सहायक के रूप में प्रतिनियुक्त की जाये। मतगणना टेबल पर एक माईक्रो ऑब्जर्वर अवश्य प्रतिनियुक्त किये

जायेंगे, जिनकी नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखंड के मतगणना केन्द्र पर नहीं होगी तथा साथ ही एक टेबुल पर नियुक्त कर्मी एक कार्यालय के कर्मी नहीं होंगे।

- (ii) द्वितीय नियुक्ति पत्र में योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। उक्त स्थल एवं तिथि को उन्हें तृतीय नियुक्ति पत्र प्राप्त होगी।
- (iii) द्वितीय रैण्डमाईजेशन के बाद किसी भी प्रकार का वहिष्करण (Exclusion) नहीं किया जायेगा।

(9)(ग) तृतीय नियुक्ति पत्र – तृतीय रैण्डमाईजेशन के उपरांत ही तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।

मतगणना दल का मतगणना तिथि से एक दिन पूर्व तृतीय रैण्डमाईजेशन किया जायेगा तथा तृतीय नियुक्ति पत्र मतगणना शुरु होने के एक घंटा पूर्व दिया जायेगा। **इससे संबंधित एस.एम.एस. कर्मियों को नहीं भेजे जायेंगे।**

- (10) मतदान केन्द्र को उपलब्ध कराए जाने वाले मतदान सामग्रियों की तैयारी मतदान की तिथि के सात दिन पूर्व कर पंजी में मतदान केन्द्रवार इसकी संख्या अंकित कर ली जाए।
- (11) मतदान सामग्रियों का वितरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियत स्थल जो **यथाशक्य अनुमंडल मुख्यालय** होगा, पर किया जाएगा। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी सारी व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशानुसार करेंगे। जिला स्तर से उन्हें आवश्यक सभी मतदान सामग्री, वाहन, राशि इत्यादि ससमय उपलब्ध करायी जाएगी।
- (12) आयोग का निदेश है कि मतदान कार्मिकों को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए –

सामान्यतः मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व को मतदान कार्मिकों को तृतीय नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जायगा और उन्हें मतदान सामग्री भी उपलब्ध करा दी जायगी।

अनुमंडल मुख्यालय सहित संबंधित नगर निकाय में सुविधानुसार कई स्थानों को 'कलस्टर' (Cluster) के रूप में चिह्नित किया जाय। 'कलस्टर' के रूप में चिह्नित किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर 20-25 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके। चिह्नित प्रत्येक कलस्टर पर एक प्रभारी पदाधिकारी तथा उनके साथ तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनर प्रतिनियुक्त किया जाय। कलस्टर स्थल पर ई.वी.एम. की सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाय।

उक्त 'कलस्टर' पर संबद्ध मतदान केन्द्रों के मतदान कर्मियों को ठहरने की व्यवस्था की जाय ताकि इस स्थान पर मतदान दल, गश्ती-सह-संग्रहण दल के पदाधिकारी, सुरक्षित इ.वी.एम. दल तथा सुरक्षाकर्मी रात्रि विश्राम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी ताकि रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नास्ता उपलब्ध हो सके। चूँकि मतदान केन्द्र पर ई.वी.एम. का मॉक पोल करना है, इसलिए मतदान कर्मियों को मतदान के दिन Cluster से सुबह 4.00 बजे से पहले वाहनों से मतदान

केन्द्रों पर निश्चित रूप से पहुँचा दिया जाये, ताकि मतदान प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय प्रातः 7.00 बजे से मतदान प्रारम्भ किया जा सके।

इसके अतिरिक्त कंडिका 1(iii) में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका स्तर पर मतदान के दिन खराब ई.वी.एम. के Replacement के लिए एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ एक अतिरिक्त कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो ई.वी.एम.मास्टर ट्रेनर के रूप में चिह्नित कर्मी होंगे। प्रशिक्षित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्यालय आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

गश्तीदल-सह-संग्रहण पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा चिह्नित स्थल से ई.वी.एम. प्राप्त कर संबंधित कलस्टर पर रात्रि में ठहरेंगे जहाँ पर उनके क्षेत्र के मतदान कर्मी भी ठहरे हैं, ताकि दोनों 3.30 बजे प्रातः मतदान केन्द्र के लिए साथ-साथ प्रस्थान कर सकें।

चिह्नित 'कलस्टर' पर प्रभारी पदाधिकारी, मास्टर ट्रेनर एवं सुरक्षा कर्मी के साथ सुरक्षित इ.वी.एम. (Reserved EVM) लेकर रहेंगे तथा इससे संबद्ध मतदान केन्द्रों पर इ.वी.एम. खराब होने की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट की सहायता से निर्धारित अवधि में इ.वी.एम. बदलने का कार्य करेंगे। विदित हो कि ई.वी.एम. का परिचालन निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ ही किया जायेगा

- (13) मतदान कर्मियों/ गश्ती-सह-संग्रह दल/ सुरक्षित ई.वी.एम. दलों का 'कलस्टर' के लिए प्रस्थान (Dispatch) एवं मतदान केन्द्र पर पहुँचने का प्रतिवेदन ससमय आयोग को प्रतिवेदित करेंगे।
- (14) सामग्री प्राप्त करने हेतु कर्मियों द्वारा योगदान देने के बाद अगर किसी मतदान दल का कोई सदस्य अनुपस्थित रह जाता है, तो वैसी स्थिति में सुरक्षित कर्मियों में से उस स्थान को भरा जाए। इस स्थिति में प्रतिस्थानी कर्मी के स्वयं के एकल फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र (जो सुरक्षित रखे गए कर्मियों के लिए पूर्व से ही मुद्रित एवं तामिला किया गया होगा) पर प्रतिनियुक्ति वाले मतदान केन्द्र की संख्या, नाम एवं पता हस्तलिखित रूप में अंकित कर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहरित कर प्रदान किया जाएगा।

जिस मतदान दल के सदस्य के बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए उपस्थित नहीं रहने के कारण सुरक्षित मतदान दल के सदस्य को भेजना पड़े, उस मतदान दल के अनुपस्थित सदस्य के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 465 एवं 470 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को अविलंब ई-मेल द्वारा भेजी जाए। मतदान हेतु सुरक्षित दलों में से किसी कर्मी को मतदान केन्द्र में प्रतिनियुक्ति किए जाने पर उस दल के मतदान कर्मी के नियुक्ति पत्र पर संबंधित निकाय के मतदान दलों को डिस्पैच करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवंटित मतदान केन्द्र का विवरण अंकित करते हुये हस्ताक्षर किया जायेगा तथा इसका विवरण संबंधित पंजी में भी संधारित किया जायेगा।


- (15) मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी-1, मतदान पदाधिकारी-2 गश्ती सह ई.वी.एम. संग्रहण दण्डाधिकारी के साथ संग्रहण

स्थल (वज्रगृह) पर आएंगे। मतदान दल के शेष कर्मी मतदान केन्द्र से ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन वापस लौट जाएंगे।

- (16) प्रमंडलीय आयुक्तगण अपने स्तर से उपर्युक्त निदेश को सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा एवं संबंधित जिला से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

7. उपर्युक्त विषय के संबंध में यदि किसी तरह के पृच्छा/ 'Clarification' की आवश्यकता हो तो राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


विश्वासभाजन,


सचिव।

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 2987

पटना, दिनांक - 02.08.2022


प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 2987

पटना, दिनांक - 02.08.2022


प्रतिलिपि प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक-सह-राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव।

ज्ञापांक -न0नि0 50-36/2017- 2987

पटना, दिनांक - 02.08.2022

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।


28.7.22

